

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन-शाखा), सतपुडा भवन,
मध्य प्रदेश, भोपाल - 462004

क्रमांक/एफ/05/07/सम/उत्पा./तेप टीपी/12/011/3977

भोपाल, दिनांक 27/09/2010

प्रति

- 1- समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
- 2- समस्त वन संरक्षक एवं पदेन वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)/
प्रबंध संचालक, जिला यूनियन मध्य प्रदेश

विषय :- तेन्दूपत्ता अनुज्ञा पत्र जारी करने बावत्।

----0----

विषयांतर्गत तेंदू पत्ता व्यापारियों का तेन्दूपत्ता अनुज्ञा पत्रों के जारी होने के अनावश्यक विलंब न हो तथा अव्यवहारिक रूप से कम समयावधि के लिये अनुज्ञा पत्र जारी न हो के संबंध में म०प्र० शासन, वन विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 26/639/10/3 दिनांक 20.09.1991 के द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किये थे। इस संबंध में वर्ष 2006 में भी तत्कालीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक म० प्र० भोपाल ने अपने पत्र क्रमांक/14743 दिनांक 25.11.2006 के द्वारा निर्देश जारी किये तथा वर्ष 2007 में पुनः अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) ने अपने पत्र क्रमांक/एफ/05/07/सम/उत्पा./ते.प./111 भाग-3/3600, भोपाल, दिनांक 08/10/2007 के द्वारा निर्देश जारी किये। तेन्दूपत्ता अनुज्ञा पत्र जारी करने के संबंध में म० प्र० तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली 1996 के नियम 4 में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

उपरोक्त निर्देशों के बावतजूद तेन्दूपत्ता व्यापारियों के द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार 100 प्रतिशत राशि जमा करने/किस्तों का भुगतान करने के उपरांत परिदान आदेश एवं परिवहन अनुज्ञा पत्र समय पर जारी नहीं किये जाने या काफी विलंब से जारी किये जाने की शिकायतें बार-बार प्राप्त होती रहती हैं। ऐसी शिकायतों से विभाग की छबि तो धूमिल होती ही है साथ ही उक्त व्यापार के राजस्व प्राप्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः पुनः निर्देश जारी किये जाते हैं कि :-

1. क्रेता के द्वारा शत-प्रतिशत राशि जमा कराये जाने की अवस्था में मांग किए जाने पर फड़ से ही अधिसूचित पूर्ण मात्रा के लिये परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र 1 (मुख्य) जारी करते हुये अनुज्ञा पत्र 1 (सहायक) अविलंब जारी कर दिया जाये।
2. दोहरे ताले की अवस्था में फड़ से गोदाम तक के लिए अधिसूचित मात्रा की 75 प्रतिशत मात्रा के लिए क्रेता की मांग पर अनुज्ञा पत्र 1 (मुख्य) जारी करते हुये इसी मात्रा के लिए अनुज्ञा पत्र 1 (सहायक) जारी कर दिया जाये। शेष मात्रा के लिए वास्तविक संग्रहण की मात्रा के आधार पर ऐसी कार्यवाही की जा सकती है।

- 3- प्रत्येक गोदाम के लिये वनपाल से अनिम्न स्तर के कर्मचारी को गोदाम प्रभारी बनाया जाय एवं एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक और राज्य के बाहर परिवहन हेतु टीपी-2 व टीपी-4 सहायक जारी करने के लिये गोदाम प्रभारियों को प्राधिकृत किया जाये।
- 4- राज्य के बाहर परिवहन हेतु वन मण्डलाधिकारी सामान्य प्रक्रिया अनुसार ही अनुज्ञा पत्र 2 (मुख्य) जारी करेंगे एवं सीधे फड से परिवहन की स्थिति में पोषक अधिकारी को तथा गोदाम से परिवहन की अवस्था में गोदाम प्रभारी को परिवहन अनुज्ञा पत्र 4 (सहायक) जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया जाये।
- 5- यदि किसी एक वन मण्डल में संग्रहित तेन्दूपत्ते का भण्डारण किसी दूसरे वन मण्डलाधिकारी के क्षेत्र में किया जाता है तो गोदाम का प्रभार संग्रहण क्षेत्र के वन मण्डलाधिकारी द्वारा नियुक्त वनपाल से अनिम्न स्तर के वन अधिकारी के पास ही रखा जायेगा। गोदाम में भण्डारित पूर्ण मात्रा के लिये टीपी जारी करने हेतु संग्रहण करने वाले वन मण्डलाधिकारियों के अनुरोध पर भण्डार क्षेत्र के वन मण्डलाधिकारी राज्य के बाहर परिवहन हेतु टीपी-4 (मुख्य) जारी करते हुये टीपी-4 (सहायक) जारी करने के लिए एवं राज्य के भीतर परिवहन हेतु टीपी-2 जारी करने के लिए गोदाम प्रभारी को अधिकृत करे, जो संग्रहण क्षेत्र के वन मण्डलाधिकारी के निर्देशानुसार तेन्दू पत्ते को मुक्त किये जाने पर आवश्यक टीपी-2 या टीपी-4 (सहायक) जारी करेंगे। इससे अन्यत्र परिवहन हेतु संबंधित टीपी जारी करने के लिये संग्रहण करने वाले वन मण्डलाधिकारी के द्वारा अधिकृत किये जाने पर गोदाम प्रभारी द्वारा टीपी ही जारी किये जावेगें।
- 6- क्रेताओं की मांग है कि राज्य के बाहर परिवहन किये जाने वाले तेन्दूपत्ते के परिवहन की अवधि पूर्ण संग्रहण सीजन के लिये दी जावे। अतः जारी टीपी-4 मुख्य की अवधि निर्धारित करते समय इस पर विचार कर लिया जावे।
कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें ताकि वैद्य वनोपज का परिवहन सुगमता से हो सके।

(डॉ० एम० एस० राणा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक/एफ/05/सम/उत्पा./तेज टीपी/12/011/3978

भोपाल, दिनांक 27/09/2010

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 2- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित भोपाल।
- 3- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (उत्पादन) मध्यप्रदेश, भोपाल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल